(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 699–दो – 2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 13–3–2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 30/2005–06 निगरानी

1– रामलाल 2– लक्ष्मीनारायण
पुत्रगण मनकेराम कुशवाह
ग्राम चक ढुडेर तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– भागीरथ 2– धनसिंह 3– गोविन्द
4– मनीराम 5– बाबूलाल पांचों पुत्रगण
शॅकरसिंह क्र–5 नावालिग संरक्षक भाई
भागीरथ, निवासीगण ग्राम ढुडेर
तहसील मुंगावली जिलाअशोकनगर ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

आ दे श

(दिनांक 3–2– 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 30/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–3–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा ढुंडेर की आराजी नंबर 135 में से रकबा 0.324 हैक्टर पर तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण क्रमांक 142 अ-6/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 19-1-2002 से क्रय की गई भूमि पर क्रेताओं के नामान्तरण आवेदन को अस्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 21/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 22-6-2001 से तहसीलदार का आदेश निरस्त करके प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 112/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 5-9-2005 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 30/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 13-3-2006 से अपर कलैक्टर का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के आदेश को स्थिर रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार ने इस आधार पर विक्रय पत्र से क्रेतागण का नामांत्रण आवेदन अमान्य किया है कि क्रेतागण 5 हैं जिनमें से एक क्रेता अवयस्क है इसलिये तहसीलदार ने विक्रय संबिदा को शून्य माना है, जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य मानने या शून्य

घोषित करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है यदि विक्रय पत्र संपादित हुआ है एंव विक्रय धन अदा कर दिया गया है विक्रय पत्र पूर्ण है ऐसी संबिदा अवयस्क के हित में भले ही उसके संरक्षक व्दारा कार्यवाही की गई है, विक्रय पत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने तथा नामान्तरण आवेदन पर पुर्नविचार करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रृटि नहीं की है, परन्तु अपर कलेक्टर अशोकनगर ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 30/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 13-3-2006 से अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-3-2006 विधिवत् होने से स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर